

आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या : 146/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा- पौवर हाऊस रोड, बनीपार्क, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. मैसर्स जिन्दल मार्केटिंग जरिये पार्टनर,  
पता:- 603, 6<sup>th</sup> फ्लोर, एआरजी नॉर्थ एवेन्यू, प्लॉट नं. डी-468(ए-एफ) रोड नं. 9ए वीकेआई एरिया,  
जयपुर।
2. श्री वासुदेव सोलंकी पुत्र श्री रामेश्वर लाल सोलंकी पार्टनर मैसर्स जिन्दल मार्केटिंग,
3. श्रीमती गीतिका सोलंकी पत्नी श्री वासुदेव सोलंकी पार्टनर मैसर्स जिन्दल मार्केटिंग,
4. श्री नीरज गुप्ता पुत्र श्री माणक गुप्ता पार्टनर मैसर्स जिन्दल मार्केटिंग
5. श्री मेघराज सोलंकी पुत्र श्री रामेश्वर लाल सोलंकी,  
पता:- 280, पेट्रोल पम्प के सामने, पट्टी पेड़ा, 21/98, बीकानेर।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act.2002.

उपस्थित :-

1. श्री राकेश चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 30.05.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 30.03.2021 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी 1. श्री वासुदेव सोलंकी के स्वामित्व की संपत्ति प्लेट नं. 603, 6<sup>th</sup> फ्लोर, एआरजी नॉर्थ एवेन्यू, प्लॉट नं. डी-468(ए-एफ) रोड नं. 9ए वीकेआई एरिया, जयपुर, क्षेत्रफल 596.79 वर्गफीट एवं 2. श्री नीरज गुप्ता के स्वामित्व की संपत्ति प्लेट नं. 0 108, प्रथम तल, शिव शक्ति पैराडाईज, प्लॉट नं. ए-6, सेन्द्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 1345.904 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 85,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.11.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 85,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 64,86,394.08/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.11.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी 1. श्री वासुदेव सोलंकी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लेट नं. 603, 6<sup>th</sup> फ्लोर, एआरजी नॉर्थ एवेन्यू, प्लॉट नं. डी-468(ए-एफ) रोड़ नं. 9ए वीकेआई एरिया, जयपुर, क्षेत्रफल 596.79 वर्गफीट एवं 2. श्री नीरज गुप्ता के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लेट नं. 108, प्रथम तल, शिव शक्ति पैराडाईज, प्लॉट नं. ए-6, सेन्द्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 1345.904 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जसिद सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था/बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हसब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 30.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

**प्रकाश राजपुरोहित**  
**जिला मजिस्ट्रेट**  
**(कलक्टर) जयपुर**